राजस्थान राज्य सूचना आयोग
ओडीएस केंद्रस के पास, झालाना लिंक रोड,
जबाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (कोन एवं फैक्स नं. 0141 2719136)
क्रमांक प. 6 ( )/स.सू.आ./संस्था/2020/650-654
दिनांक 4-9-20

कार्यालय आदेश

राज्य में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण व राज्य सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के चलते राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर में सूचना का कार्य अति आवश्यक प्रकरणों में ही किया जाना संभव है।

अतः कोई भी अपीलार्दी सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) के अन्तर्गत अपनी जीवन अथवा स्वतंत्रता से संबंधित सूचना नियामकार आवेदन करने व प्रथम अपील करने के पश्चात भी सूचना प्राप्त नही होने की स्थिति में अथवा प्रदत्त सूचना से असंतुष्ट होने पर आयोग के समस्त व्हाट्सएप नंबर 9799996116 पर समस्त दस्तावेजों के साथ द्वितीय अपील लॉकडाउन की अयोग्य नहीं कर सकेगा।

उपरोक्त अपील में अपीलार्दी अपने व्हाट्सएप एप नंबर के साथ नियामकार वांछित समस्त दस्तावेजों की रूपकौशल प्रति भी प्रस्तुत करेगा।

उपरोक्त द्वितीय अपील प्राप्त होने एवं जिन्द्रों अथवा स्वतंत्रता के नामकरणों पर उन्होंने एवं नियामकार सही पाये जाने पर आयोग अपीलार्दी को उनके द्वारा प्राप्त क्षेत्र व्हाट्सएप एप नंबर पर सूचित करेगा। यह आदेश सक्षम रूप र पर अनुमोदित है।

भूमितराय
राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं—
1. निजी सचिव, माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय।
2. निजी सचिव, माननीय सूचना आयुक्त महोदय–द्वितीय/तृतीय
3. प्रोग्रामर को प्रेषित कर लेख एवं प्राप्त आदेश को आयोग की वेबसाइट पर दुर्लक्ष अपलोड करें।
4. राक्षित पत्रकारी